

बेचने से पहले पकड़ें नकली खाद-बीज

Bhopal News - डीबी स्टार

Jan 14, 2020, 06:50 AM IST

डीबी स्टार

प्रदेश में सरकार ने नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। अधिकारी दुकानों और गोदामों से इनके नमूने लेकर कार्रवाई के दावे कर रहे हैं। लेकिन सच इससे उलट है। प्रदेश में आज भी खाद-बीज माफिया सक्रिय हैं। दुकान और गोदामों की संख्या हजारों में है, लेकिन चंद जगह से नमूने लेकर अधिकारी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, जिस पर किसानों ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की नौटंकी बीते 10 वर्षों से की जा रही है। लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में हर साल दुकानें खुल रही हैं। ये माफिया तभी सक्रिय होता है, जब खरीफ या रबी की फसल की बोवनी का समय होता है। इस समय फसल खेत में खड़ी है और सरकार खाद, बीज और कीट नाशक के सैंपल लेने की बात कर रही है। हकीकत यह है कि यह काम तब करना चाहिए था, जब किसान बीज लेने के लिए बाजार में जाता है। किसानों ने सरकार को इस तरह की शिकायत कई बार की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पूर्व और वर्तमान सरकार उनकी आशा पर खरी नहीं उतर सकी हैं।

सरकार का दावा

शासन का दावा है कि बीते नवंबर महीने में खाद-बीज-कीटनाशक जांच अभियान चलाया गया। इसमें 268 उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण कर 94 नमूने लिए गए। इनमें से 8 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी प्रकार 104 पौध संरक्षण दवा विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण कर 48 नमूने लिए गए। यहां भी 8 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।

इसके बाद 372 खाद और दवा संरक्षण विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में 1492 बीज विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण कर 1351 बीज के नमूने लिए। इनमें 67 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। कार्रवाई क्या हुई? किसी को जानकारी नहीं।

ऐसी दुकानें हम नहीं चलने देंगे

पूर्व सरकार में क्या हुआ, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन अब प्रदेश में नकली खाद, कीटनाशक और अमानक बीज बेचने वाली दुकानें हम नहीं चलने देंगे। सघन जांच अभियान लगातार चलता रहेगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। किसानों की जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हल करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सचिन सुभाष यादव, कृषि मंत्री, मप्र

..तब तक राहत मिलना मुश्किल

नकली खाद और अमानक बीज को धोखे से खरीदकर किसान बर्बाद हो रहा है। क्या सरकार इस माफिया से वसूलकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देगी? इस बारे में हम मंत्रालय में मिलकर अपनी अर्जी लगा चुके हैं। सरकार जब तक दोषियों की दुकानें बंद कर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक राहत मिलना मुश्किल है। भूपेन्द्र सिंह, किसान, विदिशा

यह है प्रदेश की हकीकत

प्रदेश में खाद, कीटनाशक और अमानक बीज की 20 हजार से ज्यादा दुकानें हैं। इनकी संख्या भी हर साल बढ़ रही है। नकली माल को बोवनी के समय ही बाजार में लाया जाता है। इसके बाद उसे गुमनाम जगह पर भेज दिया जाता है। इसके लिए खाद बीज माफिया ने पूरा सिस्टम बना रखा है।

दुकानों की संख्या भी इसीलिए बढ़ाई गई है, ताकि नकली माल को टुकड़ों में बांटकर आसानी से खपाया जा सके। इस संबंध में किसानों का कहना है कि सरकार को मशरूम की तरह खुली इन सभी दुकानों की सघन जांच कर कड़े नियम बनाना चाहिए।